R.1033-PBR/15 इंदौर

प्रस्तुती दिनांक: .05.2015

श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल, म.प्र. ग्वालियर के समक्ष

1. अवतारसिंह पिता स. तारासिंह
2. अमरसिंह पिता स. तारासिंह
3. गुरुचरणसिंह पिता स. तारासिंह

उपरोक्त सभी निवासी– 18, पी मेकेनिक नगर इंदौर ---- **आवेदकगण**

दिनांक 11-5-15 को श्री प्रदीप श्रीवास्तव, अभि० द्वारा प्रस्तुत।
11-5-15
50

विरुद्ध

1. अपर कलेक्टर महोदय , जिला इंदौर

कलेक्टर कार्यालय , इंदौर

2. न्यायालय सक्षम प्राधिकारी

मल्लावरण –भोपाल–भिलवाड़ा–विजयपूर

प्राकृतिक गैस पाईपलाईन योजना , बी–9/8

महाकाल वाणिज्य केन्द्र , नानाखेड़ा , उज्जैन म0प्र0 ---- अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 भू–राजस्व संहिता 1959

अपीलकर्ता न्यायालय अपर कलेक्टर (राजस्व) महोदय इंदौर जिला इंदौर द्वारा राजस्व मामला कमांक/03/पुनर्विलोकन/2014 – 2015 (श्रीमान सक्षम प्राधिकारी विरुद्ध तारासिंह, गुरुचरणसिंह व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 08.04.2015 से असंतुष्ट एवंम दुःखी होकर अन्य आधारों के साथ–साथ निम्न आधार पर सदर निगरानी प्रस्तुत

Pradeep Shrivastava Ad.
Shrivastava 11/5/15

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1033–पीबीआर/15 जिला इन्दौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12–1–2016	उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि केन्द्र सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण करने संबंधी नोटिफिकेशन जारी किया गया है, परन्तु आवेदकगण को किसी प्रकार की कोई सूचना प्रश्नाधीन भूमि अधिग्रहण करने के संबंध में नहीं दी गई है । इस बीच आवेदकगण द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का व्यपवर्तन कराया जाकर निर्माण कार्य कर लिया गया है, ऐसी स्थिति में अपर कलेक्टर द्वारा पुनर्विलोकन की अनुमति देने में अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि किसी भी आदेश के पुनर्विलोकन करने हेतु 180 दिन की समय–सीमा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई है, जबकि अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 21–5–2013 के आदेश के पुनर्विलोकन की अनुमति दिनांक 8–4–2015 को दी गई है, जो कि अवधि बाह्य कार्यवाही है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये गये हैं, अतः अपर कलेक्टर द्वारा पुनर्विलोकन की अनुमति देने में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना की गई है । तर्कों के समर्थन में 2010 आर.एन. 409 का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया । 2/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि यदि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना हुई है, तब आवेदकगण को माननीय	

उच्च न्यायालय में, न्यायालय के आदेश की अवहेलना की कार्यवाही करना चाहिए । यह भी कहा गया कि यदि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में कोई आदेश पारित किया गया है, तब माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ही सुनवाई की जा सकेगी, इस न्यायालय द्वारा नहीं ।

3/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमियों में से कुछ भूमि सक्षम प्राधिकारी एम.बी.बी.व्ही. पाईप लाईन परियोजना द्वारा अधिगृहीत कर ली गई है, अतः प्रश्नाधीन भूमियों में से अधिग्रहीत की गई भूमि के आवेदकगण भूमिस्वामी नहीं रह गये हैं, ऐसी स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के व्यपवर्तन की अनुमति देने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । इस संबंध में आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है, क्योंकि उनके द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के व्यपवर्तन आदेश दिनांक को भूमिस्वामी होने संबंधी कोई तथ्य प्रमाण सहित प्रस्तुत नहीं कर, तकनीकी स्वरूप के आधार उठाये गये हैं, ऐसी स्थिति में अपर कलेक्टर द्वारा प्रकरण कमांक 122/अ–2/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 21–5–2013 के पुनर्विलोकन की अनुमति देने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है, इसलिए उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है । दर्शित परिस्थिति में अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 8–4–2015 विधिसंगत होने से स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष